

कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)(आर) उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

रतद द्वारा सुबित किया जाता है कि दिनांक 14.05.2025 को समाधार पत्रों में प्रकाशित Supply & Installation of LED Street Light Network in Dark Zone at I.A. Mathura Site-A 🔄 नेविदा संख्या (2025 SIDC 1038710 1) जो दिनांक 14.05.2025 से दिनांक 03.06.2025 तक अपलोड की जानी थी एवं दिनांक 04.06.2025 को खोली जानी है, अपरिहार्य कारणों से अब उक्त आमंत्रित निवेदा में निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अवधि दिनांक 12,06,2025 तक विरतारित की जाती है। यह निविदा अब दिनांक 13.06.2025 को अपरान्ह 04 20 बजे खोली जायेगी। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी हेतु श्री सतिल यादव, उपमहाप्रवन्धक (वि.) मुख्यालय से दूरभाष सं. 9205691068 से सम्पर्क कर सकते हैं। **वरिष्ठ प्रबन्धक (वि.), मुख्यालय, उ.प्र.श.औ.वि.प्रा., कानपुर**

सार्वजनिक सूचना

[दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत नारी] श्री विजय कमार मिश्रा, व्यक्तिगत गारंटर के लेबदारों के ध्यानार्थ

		प्रासंगिक विवरण
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री विजय कुमार मिश्रा,
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	श्री विनय कुमार मिश्रा पुत्र पुत्तन्नी लाल मिश्रा निवासी नया महाराज नगर, बहादुर नगर–3, तहसील लखीमपुर– खीरी, लखीमपुर, यू.पी.
3.	न्याय निर्णय प्राधिकरण के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज ने श्री वि कुमार मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर के.सी. इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमित के खिलाफ आईबीसी, 2016 की धारा 95 के तहत दिव समाधान प्रक्रिया शुरू की है, सीपी (आईबी) सं 99 / एएलडी / 2024 केंस शीर्षक केंनरा बैंक बनाम श्री वि कुमार मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर) में दिनांक 27.05.2025 के आ के अनुसार।
4.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	27.05.2025 (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड किय गया)
5.	दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	टीना सारस्वत पांडे आईबीबीआई रजि. क्रमांक IBBI/IPA-001/IP. P00652/2017-18/11126
6.	समाधान पेशेवर का पता और ई—मेल (पंजीकृत)	387एफ, 114 स्कीम पार्ट—1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के व इंदौर—452010 (म.प्र.) ईमेल आईडीः teenasaraswat@yahoo.co.in
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए पता और ई—मेल	387एफ, 114 स्कीम पार्ट—1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे इंदौर—452010 (म.प्र.) ईमेल आईडीः pgvinaym@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.06.2025
9.	प्रासंगिक फॉर्म "फॉर्म—बी"	"फॉर्म–बी" वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

27.05.2025 के आदेश द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 95 के अंतर्गत के.सी. इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री विनय कुमार मिश्रा के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड किया गया)

श्री विनय कुमार मिश्रा के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे 26.06.2025 को या उससे पहले भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7(1) के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 7 में उल्लिखित पते पर ही समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत करें। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

कृपया ध्यान दें: झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर कानून के लागू प्रावधानों के तहत दंड लगाया जा सकता है।

टीना सारस्वत पांडे रिजोल्यूरान प्रोफेरानल आईबीबीआई पंजीकरण संख्या। आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00652/2017-18/11126 एएफए संख्याः AA1/11126/02/311225/107286 स्थानः इंदीर 31-दिसम्बर-25 तक वैधता

आपका सम्पूर्ण बॅंकिंग भागीदार एलसीआरडी डिविजन / नई दिल्ली, यू.जी.एफ., फेंडरल टावर्स, 2/2, वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008 फोन नं.: 011-40733978, 40733980 ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

चल सामान की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना प्राधिकृत अधिकारी ने संदर्भ संख्या एनडीएलएलसीआरडी / एसयू / एनडीएलक्यू / 2025 दिनांक 15.05.2025 को नोटिस जारी किया था जिसमें 1. श्री अवधेश कुमार झा पुत्र श्री मनमोहन झा, (2) श्रीमती सिमा झा पत्नी श्री अवधेश कूमार झा, दोनों निवासी फ्लैट नंबर डी-21, एमआईजी, जी-1, भूतल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, यूपी को 18.02.2025 को सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जा लेने के बाद परिसर/संपत्तियों यानी फ्लैट नंबर डी-21, ब्लॉक-डी, एमआईजी, जी-1, भूतल,कौशाम्बी, गाजियाबाद,

यूपी में रखे चल / फर्नीचर को हटाने के लिए कहा गया था। उक्त सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 07.05.2025 को ई-नीलामी किया गया था। हमारे नोटिस के बावजूद, उपरोक्त पक्ष वहां रखे चल / फर्नीचर को हटाने में विफल रहे और उपेक्षा की। अतः यह निर्णय लिया गया है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति में रखे चल / फर्नीचर की सार्वजनिक नीलामी "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है वैसा हैं" तथा "जो कुछ भी हैं" शर्तों पर दिनांक 19.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह 1.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित करके की जाएगी। आरक्षित राशि रु.13,000/-(तेरह हजार रुपए मात्र) तथा ईएमडी रु.3,000/- (तीन हजार रुपए मात्र) है।

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया फेडरल बैंक लिमिटेड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://www.federalbank.co.in/web/guest/tender-notices पर जाएं।

फर्नीचर व अन्य का विवरणः

- 1. गद्दे सहित डबल बेड-1
- 2. सीलिंग फैन-3 **3.** कुशन–4
- 4. डिस्पेंसर-1, बोतल-4 5. प्लास्टिक की कुर्सी-5
- 6. 2 कुशन और 1 तकिया के साथ पर्दा
- **7.** पर्दे की छडें-5. 8. 2 सेट्टी के साथ 5 सीटर सोफा
- 9. सेंटर टेबल-1
- 10.लकडी की अलमारी-1

विथि: 04.06.2025

कृते दि फेडरल बैंक लि. (सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी) स्थानः नई दिल्ली

सार्वजनिक स्चना

[दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत जारी] श्री विनय कुमार मिश्रा, व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

	प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री विनय कुमार मिश्रा,	
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	श्री विनय कुमार मिश्रा पुत्र पुत्तन्नी लाल मिश्रा निवासी नया महाराज नगर, बहादुर नगर–3,तहसील लखीमपुर–खीरी,लखीमपुर,यू,पी.	
3.	न्याय निर्णय प्राधिकरण के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज ने श्री विनय कुमार मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर के.सी. इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ आईबीसी, 2016 की धारा 95 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है, सीपी (आईबी) संख्या 100/एएलडी/2024 केस शीर्षक केनरा बैंक बनाम श्री विनय कुमार मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर) में दिनांक 27.05.2025 के आदेश के अनुसार।	
4.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	27.05.2025 (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड किया गया)	
5.	दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	टीना सारस्वत पांडे आईबीबीआई रजि. क्रमांक IBBI/IPA-001/IP. P00652/2017-18/11126	
6.	समाधान पेशेवर का पता और ई—मेल (पंजीकृत)	387एफ, 114 स्कीम पार्ट–1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे इंदौर–452010 (म.प्र.) ईमेल आईडीः teenasaraswat@yahoo.co.in	
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए पता और ई—मेल	387एफ, 114 स्कीम पार्ट–1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे इंदौर–452010 (म.प्र.) ईमेल आईडीः pgvinaym@gmail.com	
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.06.2025	
9.	प्रासंगिक फॉर्म "फॉर्म—बी"	"फ़ॉर्म-बी" वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads	

स्चित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने दिनांक 27.05.2025 के आदेश द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 95 के अंतर्गत के.सी. इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री विनय कुमार मिश्रा के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड किया गया)

श्री विनय कुमार मिश्रा के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे 26.06.2025 को या उससे पहले भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7(1) के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 7 में उल्लिखित पते पर ही समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत करें। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से प्रस्तूत करेंगे।

कृपया ध्यान दें: झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर कानून के लागू प्रावधानों के तहत दंड लगाया जा

टीना सारस्वत पांडे रिजोल्यूरान प्रोफेरानल

आईबीबीआई पंजीकरण संख्या। आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00652/2017-18/11126 एएफए संख्याः AA1/11126/02/311225/107286 दिनांकः 05.06.2025 स्थानः इंदीर 31-दिसम्बर-25 तक वैधता

प्रमाणका एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः "राधिका", दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद— की धारा 13(2) के 380009 शाखा कार्यालयः एचडींबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड खसरा नं. 47, ऑक्स-फोर्ड स्कूल के पीछे - विकासपुरी-दिल्ली 110018

तहत मांग नोटिस आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने आपकी अचल संपत्तियों (प्रतिभूति) मे अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण (ऋणों) ६ वित्तीय मुविधा प्राप्त की और उसकी अदायगी में चुक की है। आपके डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसकी विषय—वस्तु अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पिटत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार आप तक वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस की तिथि, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभृतियों का विवरण निम्नानुसार है:

1) उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) डिमांड नोटिस की तिथि, 5) दावा की गई राशि भा. रु. में, 4) प्रतिभूतियों का ब्यौरा, 7) कब्जे की तारीख

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः गिरीश बजाज डब्ल्यूजेड—139सी नया नंबर बी—360 पहली मंजिल प्लॉट नंबर 8 पर, गांव बसई दारापुर सुदर्शन पार्क नई दिल्ली बसई दिल्ली–110015 दिल्ली और साथ ही पूरी पहली मंजिल, बिना छत/टेरेस अधिकारों के संपत्ति असर नंबर डब्ल्यूजेड 139 सी प्लॉट नंबर 8 केएच नंबर 623 दिल्ली–110018 ,ममता बजाज डब्ल्यूजेड–139सी नया नंबर बी–360 पहली मंजिल प्लॉट नंबर ८, गांव बसई दारापुर सुदर्शन पार्क नई दिल्ली बसई डी दिल्ली–110015 दिल्ली, ऋण खाता संख्याः 29009138: ऋण राशिः ऋण खाता संख्या २९००९१३८ द्वारा रु.२३००००० / – (केवल तेईस लाख रुपये), मांग नोटिस दिनांकः २८.०५.२०२५,दावा की गई राशिः 28–05–2025 तक रु.2,212,760.60 / –(बाईस लाख बारह हजार सात सौ साठ रुपये और साठ पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि। एनपीए तिथिः 05—05—2025, प्रतिभूति का विवरणः सम्पूर्ण पहली मंजिल,बिना छत / टेरेस अधिकारों के (उक्त मंजिल) प्लॉट नंबर 8 पर संपत्ति असर संख्या डब्ल्यूजेड 139–सी पर निर्मित, खसरा नंबर 623 में से 100 वर्ग गज की भूमि, सुदर्शन पार्क की आबादी में, गांव बसई दारापुर के क्षेत्र में, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश। इसलिए आप उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होना होगा।(उपलब्ध समय के संबंध में. प्रतिभति संपत्तियों को भनाने के लिए. अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।),कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभतियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है और अधिनियम की धारा 13(13) के किसी भी गैर-अनुपालन पर उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरुण यादव फोनः 9350538386 या विकास आनंद फोनः 09711010384 से संपर्क करें। हस्ता./ – कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, दिनांकः 05.06.2025 अधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत) श्रीमती मिथलेश मिश्रा, व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

	प्रासंगिक विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमती मिथलेश मिश्रा
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	श्रीमती मिथलेश मिश्रा पत्नी श्री विजय कुमार मिश्रा , निवासी मकान नंबर 289, नया महाराज नगर, बहादुर नगर—3, तहसील लखीमपुर, उ.प्र
3.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज ने आईबीसी, 2016 की धारा 95 के तहत सीपी (आईबी) संख्या 96 / एएलडी / 2024 केस शीर्षक केनरा बैंक बनाम मिथलेश मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर) में दिनांक 27.05.2025 के आदेश के अनुसार मिथलेश मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर के.सी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है।
4.	दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	27.05.2025 (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड किया गया)
5.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	टीना सारस्वत पांडे आईबीबीआई पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP- P00652/2017-18/11126
6.	समाधान पेशेवर (पंजीकृत) का पता और ई—मेल	387एफ,114 स्कीम पार्ट—1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे,इंदौर—452010 (म.प्र.), ईमेल आईडी: teenasaraswat@yahoo.co.in
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए पता और ई–मेल	387एफ,114 स्कीम पार्ट–1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे,इंदौर–452010 (म.प्र.), ईमेल आईडी: pgmithlesh1@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.06.2025
9.	प्रासंगिक "फॉर्म :	"फॉर्म—बी", वेब लिंकः https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच, प्रयागरा ने ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 95 के तहत दिनांक 27.05.2025 के आदे		

द्वारा के.सी. इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती मिथलेश मिश्रा के लिए दिवाला नमाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड

श्रीमती मिथलेश मिश्रा के लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 7 के समक्ष उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर को प्रमाण सहित अपने दावे 26.06.2025 को या उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। लेनदारों को अपने दावे इलेक्टॉनिक माध्यम, पंजीकत डाक, स्पीड पोस्ट या करियर के माध्यम से प्रस्तत करने होंगे। कृपया ध्यान दें: झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर कानून के लागू प्रावधानों के तहत दंड लगाया

जा सकता है। टीना सारस्वत पांडे समाधान पेशेवर

देनांक: 05.06.2025

स्थानः इंदौर

आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00652/2017-18/11126 एएफए नंबर: AA1/11126/02/311225/107286 वैधता 31 दिसंबर-25 तक

motherson 1 मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड

(सीआईएन: L29306MH2020PLC341326) पंजीकृत कार्यालय: यूनिट-705, सी विंग, वन बीकेसी, जी ब्लॉक, बाँद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बाँद्रा पूर्व, मुंबई— ४०००५१, महाराष्ट्र दूरभाष : +91 022-61354800; फैक्स : +91 022-61354801 **निगमित कार्यालय:** 5वाँ तल, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-127, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा- 201301 (उत्तर प्रदेश) **दुरभाष** : +91 120 6679500; **फैक्स** : +91 120 2521866;

इंगेल: investorrelations@mswil.motherson.com, वेबसाइट: www.mswil.motherson.com

सदस्यों को डाक मतपत्र/ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013, **("अधिनियम")** की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, ("नियम") के नियम 20 और 22 के साथ, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड **("कंपनी")** दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से 29 मई, 2025 **("सूचना")** की डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित प्रस्ताव पारित करके अपने सदस्यों से अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम की धारा 110 के अनुसार, नियमों के नियम 22 और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या ३/२०२२ दिनांक ५ मई, २०२२, सामान्य परिपत्र संख्या ०९/२०२३ दिनांक सितंबर 25, 2023 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या ९ / २०२४ ("परिपत्र") के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना ४ जून, २०२५ को ई—मेल द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजी गयी है, जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं और संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल निम्नलिखित विषय के लिए दूरस्थ ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा

प्रस्ताव का विवरण

साधारण प्रस्ताव– शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने का अनुमोदन। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटेक") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि मतदान 6 जून, 2025 (0900 बजे आईएसटी) से शुरू होगा और 5 जुलाई, 2025 (1700 बजे आईएसटी) को समाप्त होगा। उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई—वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर ई-वोटिंग मॉड्यूल को केफिनटेक द्वारा तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री डी.पी. गुप्ता को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

सूचना उन सभी सदस्यों के लिए भेजी / प्रकाशित / प्रदर्शित की गयी है, जिनके नाम 30 मई, 2025 कट-ऑफ तिथि को हैडिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") से प्राप्तानुसार सदस्यों के रजिस्ट्रार / लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.mswil.motherson.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर उपलब्ध है।

पोस्टल बैलट के परिणाम अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा 7 जुलाई, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mswil.motherson.com और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

ई-वोटिंग पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण वोटिंग के लिए केफिनटेक की वेबसाइट के **"डाउनलोड"** अनुभाग में ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध **"सहायता"** और **"एफएक्यू"** अनुभाग / ई—वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्अल का संदर्भ ले सकते हैं, अर्थात् https://evoting.kfintech.com/

ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों / शिकायतों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए संपर्क विवरण : ईमेल आईडी : investorrelations@mswil.motherson.com

(कपया ध्यान दें- कंपनी सचिव): टेलीफोन नंबर +91 120 6679500 और / या टोल फ्री नंबर : 1800 345 4001, ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

कृते मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड पूजा मेहरा

दिनाँक : 4 जून, 2025 कंपनी सचिव स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश एफसीएस : 5088

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय ऋण वसूली अधिकरण-11, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के तहत बिक्री उद्घोषणा तय करने हेतु

आरसी संख्याः 63/2019

इलाहाबाद बैंक बनाम श्री सतीश कुमार शर्मा सेवा में.

संबंधित अधिकारी

विद्युत विभाग

2. जल बोर्ड/स्वास्थ्य विभाग 3. नगर निगम

4. आयकर, बिक्री कर⁄वैट आदि। जैसाकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली के द्वारा तैयार किए गए वसूली प्रमाण पत्र संख्या 63/2019 (ओए संख्या- 509/2017 में) के निष्पादन में, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतदुद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि बिक्री की उद्घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तें तय करने के लिए 13.06.2025 की तारीख तय की गई है। आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त सुनवाई की तारीख को या उससे पहले उक्त संपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित किसी भी अधिभार, प्रभार, दावे या देनदारियों को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं। यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं, तो आपकी जानकारी को शुन्य माना जाएगा।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर एफएच/बी-405, चौथी मंजिल, फोस्टर हाइट्स, एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे. प्लॉट नंबर-14. सेक्टर-02. एनएच-24. क्रॉसिंग रिपब्लिक. गाजियाबाद. यपी। मेरे हस्ताक्षर और मृहर के तहत नई दिल्ली में इस 21.04.2025 को दिया गया।

(वात्सल्य कुमार) अतिरिक्त प्रभार, वसली अधिकारी-II. डीआरटी-II. दिल्ली

ADITYA BIRLA PUBLIC NOTICE
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 सार्वजनिक सूचना दिनांकः 05.06.2025

सेवा में, श्री प्रतीक तायल पुत्रः रविंदर गांव- मतलूडा मदलौडा (7), पानीपत, हरियाणा -132113

मोबाइल नंबरः 8683866418

ईमेलः prateekarora601@gmail.com कृपया ध्यान दें: श्री प्रतीक तायल

विषयः आपके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित/वर्गीकृत करने पर अंतिम आदेश। संदर्भः ऋण खाता संख्याः LDW-M09624-250362732

यह नोटिस 06.06.2024 को आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (एबीएफएल) जिसे अब आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के नाम से जाना जाता है, से आपके द्वारा लिए गए ऋण, खाता संख्य LDW-M09624-250362732 से संबंधित है। यह हमारे आंतरिक जोखिम मूल्यांकन के आधार प है, जिसके आधार पर, 30.04.2025 को आपको दो स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में पेपर प्रकाशन के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि यह एबीसीएल के साथ पंजीकृत आपके अंतिम ज्ञात पते और एबीसीएल के रिकॉर्ड में उपलब्ध ईमेल आईडी पर तामील नहीं हुआ था। नोटिस आपको इस तरह से विधिवत दिया गया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 21 दिनों का पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित तथ्यों क उल्लंघन नहीं किया गया है और यह माना जाता है कि आपके पास पेश करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए जोखिम मुल्यांकन के साथ-साथ संबंधित साक्ष्यों और कारण बताओ नोटिस के जवाब में आपके द्वारा वैध स्पष्टीकरण प्रदान करने में आपकी विफलता के बाद, हम आपके उक्त ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित / वर्गीकृत करने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसमें आपकी संलिप्तत भी साबित हो गई है। हम गहन जांच और एकत्र किए गए प्रासंगिक तथ्यों / परिस्थितियों के आधा पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।उधारकर्ता ने एबीसीएल से ऋण प्राप्त करते समय हेरफेर किया हुआ पैन कार्ड नंबर AIOPT6567B प्रस्तुत किया था। आप उधारकर्ता ने एबीसीएल से ऋण प्राप्त करने वं लिए झुठे प्रतिनिधित्व करके एबीसीएल को धोखा दिया है। यह स्पष्ट है कि आपने दुर्भावनापुर्ण इरावे से एबीसीएल से उक्त ऋण सुविधा प्राप्त करते समय जाली दस्तावेज और गलत जानकारी प्रदान की जो सूचना का गलत प्रस्तुतीकरण और भ्रामक जानकारी और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के बराबर है। आपके द्वारा पाई गई ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियाँ न केवल ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वित्तीय लेनदेन के संबंध में लागू कानूनों और विनियमों का भी

इन गंभीर उल्लंघनों के अनरूप, हम आपके कथित ऋण खाते को तत्काल प्रभाव से धोखाधडीपर्ण घोषित करने के लिए बाध्य हैं। यह निर्णय हमारे वित्तीय संस्थान को संभावित नुकसान से बचाने और हमारी ऋण देने की प्रथाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया है। इसके अलावा, हमारा यह निर्णय ऐसी घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि नियामक और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए को रिपोर्ट करने और एबीसीएल द्वारा उचित और उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य कार्यों सहित अन्य कार्रवाइयों तक भी विस्तारित होगा।

आपके उक्त खाते के बंद होने के परिणामस्वरूप, आपको पंद्रह दिनों के भीतर किसी भी अर्जित ब्याज शुल्क और दंड सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इस पुनर्भुगतान मांग का अनुपालन न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें वसूली कार्यवाही शुरू करना क्रेंडिट ब्यूरों को रिपोर्ट करना और संभावित आपराधिक आरोपों का पीछा करना शामिल हो सकता है पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त होने के बाद, आपका ऋण खाता अंततः बंद कर दिया जाएगा, और आपको बंद करने की पुष्टि जारी की जाएगी।

आदित्य बिड्ला कैपिटल लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

motherson 11

संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - L35106MH1986PLC284510)

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट : 705, सी विंग, वन बीकेसी, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400051, फोनः +91 022-40555940, फैक्सः +91 022-40555940 कॉर्पेरिट कार्यालयः प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 127, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश), फोनः +91 120 6679500, फैक्सः +91 120 2521866, ईमेलः investorrelations@motherson.com, वेबसाइटः www.motherson.com,

निवेशक संबंध फोन नंबरः +91 120 6679500

सदस्यों को डाक मतपत्र/ई-वोर्टिंग की सूचना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम'8) की धारा 108 और 110 के साथ पठित समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 22 के अनुसार, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (''कंपनी'') दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से 29 मई,2025 के डाक मतपत्र नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पारित करके अपने सदस्यों से अनुमोदन मांग रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')** की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों,यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 **('नियम')** के नियम 20 (जैसा लागू हो) और नियम 22, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 के साथ पठित एमसीए द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 9 / 2024 **(''एमसीए परिपत्र')** सहित अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 44 **('सूचीबद्धता विनियम''),** भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") और अन्य लागू कानून और विनियम, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लाग कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, के अनुसार डाक मतपत्र सूचना 04 जून 2025 को ई-मेल द्वारा, केवल उन सदस्यों को भेज दिया गया है, जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) या अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत किए हैं और संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल निम्नलिखित मामलों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगाः

मद संख्या प्रस्ताव का विवरण

साधारण प्रस्ताव- शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने की मंजुरी। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि मतदान शुक्रवार, 06 जून 2025 (0900 बजे आईएसटी) से शुरू होगा और शनिवार, 05 जुलाई 2025 (1700

कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री डी.पी. गुप्ता को पोस्टल बैलट और ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

बजे आईएसटी) को समाप्त होगा। उक्त तिथि और समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी

जाएगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर केफिनटेक द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को तत्काल निष्क्रिय

यह नोटिस उन सभी सदस्यों के लिए भेजा/प्रकाशित/प्रदर्शित किया गया है, जिनके नाम डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्ट्रार/लाभार्थी मालिकों की सूची में 30 मई, 2025 को कट-ऑफ तारीख के रूप में दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, इस पोस्टल बैलट के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप ई–वोटिंग नोटिस की सेवा नहीं दी जा सकती है, वे https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx लिंक पर क्लिक करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिनटेक के साथ अपना ईमेल पता अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं।

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.motherson.com और स्टॉक एक्सचेंजोंयानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर उपलब्ध है।

पोस्टल बैलट के परिणाम, अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा 07 जुलाई, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजोंको सूचित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.motherson.com और ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

ई-वोटिंग पर किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य केफिनटेक की वेबसाइट यानी https://evoting. kfintech.com/ के "डाउनलोड" अनुभाग में ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध "सहायता" और "FAQs" अनुभाग / ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। ई–वोटिंग से संबंधित प्रश्नों / शिकायतों,यदि कोई हो, के समाधान के लिए संपर्क विवरणः ईमेल आईडीः investorrelations@motherson.com

(कृपया ध्यान दें-कंपनी सचिव): टेलीफोन नंबर्91 120 6679500 और / या टोल फ्री नंबर: 1800 345 4001, ई-मेलः einward.ris@kfintech.com

दिनांकः 04.06.2025 स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश

बोर्ड के आदेशानुसार कृते संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आलोक गोयल, कंपनी सचिव

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहाद्र शाह DMI HOUSING FINANCE जपार मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोन: +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

{नियम 8 (1) देखें} कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों क प्रतिभृतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 3 का प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी राकेश जोशी पुत्र पारस राम जोशी और हेमलता जोशी पत्नी राकेश जोशी (सह-ऋणी), मोहित पुरोहित पुत्र मोती लाल पुरोहित (गारंटर होने के नाते) को नोटिस में वर्णित राशि क. 32,07,370/- (कपये बत्तीम लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) दिनांक 20 नवम्बर, 2023 तक उक्त नोटिस के मिलने की तारीख़ से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। जहणियों /सह-ऋणियों / बंधककर्ताओं / जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों / सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अथोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 03 जून 2025 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्मलिखित संपन्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न कों। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईबेट लिमिटेड के क. 32,07,370/- (रूपये बत्तीस लाख सात हजार तीन सौ सत्तर मात्र) दिनांक 20 नवान्वर, 2023 तक एवं अनुबंध की दर से आगे का व्याज पूर्ण भूगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यवीन होगा।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें 'हल्के आबादी का आवासीय मकान नंबर 284 (पुराना नंबर 274), वाके अलीपुरा (कृष्णपुरा), उत्वयपुर, राजस्थान 313001' में स्थित है। सीमाएं निम्न है:- उत्तर में: श्री मांगीलाल जी का मकान, दक्षिण में: श्री राकेश जी का मकान, पूर्व में: 25 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में: श्री जितेन्द्र जी का मकान।

दिनांकः 04/06/2025 हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी) स्थानः उदयपुर, राजस्थान डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत) श्रीमती नीलू मिश्रा, निजी गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

	प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमती नीलू मिश्रा	
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	श्रीमती नीलू मिश्रा पत्नी श्री विजय कुमार मिश्रा ,निवासी मकान नंबर 283, नया महाराज नगर, बहादुर नगर—3 तहसील लखीमपुर, उ.प्र.	
3.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज ने आईबीसी, 2016 की धारा 95 के तहत सीपी (आईबी) संख्या 97 / एएलडी / 2024 केस शीर्षक केनरा बैंक बनाम श्रीमती नीलू मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर) में दिनांक 27.05 2025 के आदेश के अनुसार श्रीमती नीलू मिश्रा (व्यक्तिगत गारंटर के.सी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है।	
4.	दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	27.05.2025 (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड किया गया)	
5.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	टीना सारस्वत पांडे आईबीबीआई पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00652/2017-18/11126	
6.	समाधान पेशेवर (पंजीकृत) का पता और ई–मेल	387एफ,114 स्कीम पार्ट–1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे,इंदौर–452010 (म.प्र.), ईमेल आईडीः teenasaraswat@yahoo.co.in	
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए पता और ई–मेल	387एफ,114 स्कीम पार्ट–1, दीक्षा बॉयज हॉस्टल के पीछे,इंदौर–452010 (म.प्र.), ईमेल आईडीः pgneelu1@gmail.com	
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.06.2025	
9.	प्रासंगिक "फॉर्म :	"फॉर्म—बी", वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads	

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज ने ने दिवाला और दिवालियापन संहिता. 2016 की धारा 95 के तहत दिनांक 27.05.2025 के आदेश द्वारा के.सी. इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर श्रीमती नीलू मिश्रा के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश 31.05.2025 को ऑनलाइन अपलोड

श्रीमती नीलू मिश्रा श्रीमती मिथलेश मिश्रा के लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 7 के समक्ष उल्लिखित पते मात्र पर समाधान पेशेवर को प्रमाण सहित अपने दावे 26.06.2025 को या उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। लेनदारों को अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। कृपया ध्यान दें: झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर कानून के लागू प्रावधानों के तहत दंड लगाया जा सकता है।

टीना सारस्वत पांढे समाधान पेशेवर आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00652/2017-18/11126

दिनांकः 05.06.2025 एएफए नंबर: AA1/11126/02/311225/107286 स्थानः इंदौर वैधता 31 दिसंबर-25 तक



कॉर्पोरेट कार्यालयः स्टार हाउस, सी–5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई — 400061 शोखा कार्यालयः सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, पहली मंजिल, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 28, एस वी रोड, अधेरी वेस्ट, मुंबई - 400 058

रिवस वैलेंज प्रक्रिया के माध्यम से मध्य प्रदेश में परिवालन डीवीएफओटी सडकपरियोजना में रियायतकर्ता के प्रतिस्थापन के लिए ई-जीलामी में भागीदारी के लिए आमंत्रण

वैंक ऑफ इंडिया ("बीओआई" / "लीड बैंक" / "बैंक" / "उधारदाताओं के प्रतिनिधि") ने उधारदाताओं : एक संघ ("वरिष्ठ ख्यारदाताओं") की ओर से एक पात्र बोलीदाता ("एंकर बोलीदाता") से एक रियायतकर्ता व थान पर एक नामित कंपनी को लाने के लिए एक प्रस्ताव **("आधार बोली"/"एंकर बोली")** प्राप्त किया है। रियायतकतो को मध्य प्रदेश राज्य में एक सबक परियोजना के घार लेन बनाने के लिए रियायत दी गई है, जिसे भारतीय सब्द्रीय राजगार्ग प्राधिकरण **("एनएचएआई"/"प्राधिकरण")** हारा डीबीएफओटी आधार ("परियोजना") पर विकसित किया गया है। तदनुसार, बैंक "संगी नकद" आधार पर "स्विस चैलेंज मैकेनिच्म" के माध्यम से बोली प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखता है, ताकि पर्याप्त तकनीकी और वितीय क्षमता ("नामाकित **कंपनी")** वाले पात्र संस्थाओं / बोलीदाताओं से बाध्यकारी अपरिवर्तनीय वोलियों प्राप्त की जा सकें, ताकि मूल रियायत की शेष अवधि के लिए रियायतकर्ता को प्रतिरथापित किया जा सके और परियोजना को अपने हाथ में लिय जा सके (**"बोली प्रक्रिया")।** प्रक्रिया सलाहकार(ओं) की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी तज **("ई- नीलामी")** के माध्यम से बोली प्रक्रिया दस्तावेज **("बोली प्रक्रिया दस्तावेज" / "बीपीडी")** में निहित तरीके और शतों के अनुसार

ऐसी बोली प्रक्रिया के संघालन के अनुसार। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विज्ञापन की तिथि तक, मूल्य खोज / खिस चुनौती पद्धति के संधालन के लिए 100% वरिष्ठ ऋणदाताओं से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

इस संबंध में, बोली प्रक्रिया **("प्रक्रिया सलाहकार(ऑ)")** के संचालन के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं को सलाह देने व लिए बोओबी कॅपिटल मार्केटस लिमिटेड ("BOBCAPS") और बीओआई गर्मेंट बैंकर्स लिमिटेड ("BOIMB") क

रियायतग्राही और रिवस चुनीती पद्धति का दिवरण निम्नानुसार है:

31 दिसंबर, 2024 तक मूल बकाया	क. 1,465.18 करोड़
वापसी योग्य भागीदारी शुल्क	र. 5.00 लाख
दस्तावेज जमा करने की अंतिम विथि और संभावित बोलीदाताओं द्वारा वापसी योग्य मागीदारी शुल्क	जून 11, 2025
वीडीआर और उवित परिश्रम तक पहुंच की अंतिम तिथि	जून 30, 2025 शाम s:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की जंतिम तिथि	जुलाई 02, 2025 शाम 5:00 बजे तक
ई—नीलामी की तिथि	जुलाई ०३, २०२५
एंकर बोलीदाता से हाथ में प्रस्ताव (प्राथमिक प्रस्ताव)	क. 642.00 करोड़ (नकद आधार पर)
एकर बोली का न्यूनतम मार्कअप (प्राथमिक प्रस्ताव का 5%)	क. 33.00 करोड (राउंड-ऑफ)
बोली शुरू करने की कीमत	क. 675.00 करोड़
बोली वृद्धि शक्ति (बोली गुणक)	रः 5.00 करोल न्यूनतम और उसके गुणकों म
बचाना श्रीरा जमा (ईएमढी)	क, 32.10 करोड़ (प्राथमिक प्रस्ताय का 5%)

ई-नीलामी पात्रता मानदंड और बीपीडी में निर्धारित प्रक्रिया सहित नियमों और शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी; जिसे पहले ही बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट: https://www.bankofindia.co.in या प्रक्रिया सलाहकार की बंबसाइटः <u>https://www.bobcaps.in/tenders</u> या https://www.boimb.com/tenders.aspx पर अपलोख किया जा चुका है।

जमा किए जाने वाले दस्तावेजी का प्रारूप और बीपीडी प्रक्रिया सलाहकार की वेबसाइट (www.bobcaps.in) पर उपलब्ध है। इच्छक बोलीदाताओं को आवश्यक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से project.swap@bobcaps.in और Asset.MNZ@bankofindia.co.in पर ईमेल के माध्यम से और गौतिक रूप से 'बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, बी-1704, परिनी क्रेसेन्जो, जी ब्लॉक BKC, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051" पर जमा करने बाहिए। इसे जमा करने की अतिम तिथि 11 जून, 2025 हैं। आवश्यक दस्तावेज, वापसी योग्य भागीदारी शुल्क जमा करने और बोलीदाताओं की पात्रता की जांच करने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र बोलीदाताओं को वर्युअल डेटा सम ("वीडीआर") तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी और खाते में उचित परिश्रम शुरू करने के लिए आगे की जानकारी दी जाएगी। उचित परिश्रम पूरा

होने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र बोलीदाता जुलाई 02, 2025 तक ईएमढी जमा करेंगे और जुलाई 03, 2025 को ई-नीलामी में अपनी अपरिवर्तनीय और बाध्यकारी बोलियां जमा करने के पात्र हो जाएंगें। उचित परिश्रम, पात्रता मानदंड, एकर बोली की शर्ते आदि के लिए समयसीमा बीपीडी में दी गई है। सभी पात्र संस्थाएं / बोलीदाता नीचे उल्लिखित खाते में केंवल एनईएफटी / आरटीजीएस मोड के माध्यम से

कपर उहिलखित राशि का वापसी योग्य भागीदारी शुक्क और बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करेंगे । खाता नाम INTERMEDIARY INWARD OUTWARD REMMITTANCE ACCOUNT खाता प्रकार OFFICE ACCOUNT BANK OF INDIA, Asset Recovery Management Branch, Andheri शास्त्रा खाता सख्या

आईएफएस कोड BKID0000159

मुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी बोलीदाता द्वारा वापसी योग्य भागीदारी शुल्क और ईएमडी जमा न करने पर तस विशेष बोली को गैर-उत्तरदायी माना जा सकता है और तदनुसार वरिष्ठ ऋणदाता / प्रक्रिया सलाहकार अपने विवेकानुसार बोली को अस्वीकार कर वापसी योग्य मागीदारी शुल्क और ईएमढी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। असफल बोलीदाताओं की वापसी

लईएफटी / आरटीजीएस के अलावा किसी अन्य तरीके से वापसी योग्य मागीदारी शुल्क और ईएमडी का

योग्य भागीदारी शुल्क और ईएमडी राशि बीपीडी के अनुसार लीड वैंक / वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा बिना ब्याज | के वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता के मामले में, ईएमडी राशि सफल बोलीदाता द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं को दिए गए प्रतिकल के भाग के रूप में सेट-ऑफ की जाएगी या उसका उपयोग किया

बीपीडी की किसी भी नियम और शर्त में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है या वरिष्व ऋणदाताओं के निर्देश पर कार्य करने वाले बैंक द्वारा किसी भी चरण में पूरी बोली प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। बोली प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रक्रिया सलाइकार की वेबसाइट पर "निविदाएं" टैब के अंतर्गत तपलब्ध होगी। बोली आवेदकों को हर समय, प्रक्रिया सलाहकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस संबंध में नवीनतम अपडेट / स्पष्टीकरण / संशोधन / समय विस्तार, यदि कोई हो, (प्रक्रिया दस्तावेजों सहित) से खुद को अवगत रखना चाहिए। बैंक या प्रक्रिया सलाहकार या वरिष्ठ ऋणदाता बोली आवेदकों की ओर से ऐसे संशोधनों के बारे में खुद को अपडेट रखने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें: श्री जीतेन्द्र कुमार (सीएम. बीओआई) +91 7739014174 श्री सागर मद्रा (एवीपी – +91 7666412395 Asset.MNZ@bankofindia.co.in +91 7666412395 project.swap@bobcaps.in ऋण समाधान, बॉबकेप्स)

श्री वीरराजन (वीपी, बीओआईएमबी) +91 9940648264 नोटः कृपया ध्यान दें कि इस विझापन में परिकल्पित प्रक्रिया वरिष्ठ ऋणदाताओं के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अतिम अनुमोदन के अधीन होगी। यह कोई प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है और इसमें निहित कोई भी बात बैंक या वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से बाध्यकारी प्रस्ताव या प्रतिबद्धता नहीं होगी। इस संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। आवेदक / अधिग्रहणकर्ता आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित वारंगे और रियायतग्राही के प्रतिस्थापन और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित सभी लागू कानूनों का पालन करने के लिए अपने स्वयं के दायित्व के अधीन होंगे। इस विज्ञापन में परिकल्पित बोली और ई-नीलामी प्रक्रिया बीपीडी की शर्तों के अनुसार संचालित की जाएगी और उसके

अधीन होगी। स्थान : मुम्बई श्री जितेन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक दिनांक : जून 5, 2025 बैंक ऑफ इंडिया